सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 871 **10 Kartik, 1941(S)**

Ranchi, Friday, 1st November, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. -19/2019 – State Tax(Rate)

S.O. No- 87 Dated- 1st November, 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts, all the goods supplied to the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) for execution of projects listed below in the Annexure, from whole of the State Tax leviable thereon under section 9 of the said Act, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare certifies, namely:-

(i) the quantity and description of the goods; and

(ii) that the said goods are intended for the purpose of use in execution of said projects.

ANNEXURE

(1) Strengthening Capacities for Nutrition-sensitive Agriculture and Food systems,

(2) Green Ag: Transforming Indian Agriculture for Global Environment benefits and the conservation of Critical Biodiversity and Forest landscape.

2. This notification shall be deemed to be effective from 1st day of October, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं0. 19/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 87 दिनांक 1 नवम्बर, 2019-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा उन सभी वस्तुओं पर, जिनकी आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) को उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए की गई हो जो कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध की सूची में दी गई है, उस संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत लगाया जा सकता है, बशर्ते कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा -

(i) ऐसी वस्तुओं की मात्रा एवं विवरण अभिप्रमाणित किया जाए; और

(ii) वह यह भी अभिप्रमाणित करे कि उक्त वस्तुओं का प्रयोग उक्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ही किया जाना है ।

अनुबंध

(1) पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणाली की क्षमता का संवर्द्धन,

(2) हरित कृषि: विश्व पर्यावरण के लाभ के लिए भारतीय कृषि में सुधार और संकटग्रस्त्र जैव विविधता और वन क्षेत्र का संरक्षण ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/03/2019]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से

प्रशांत कुमार,
सचिव-सह-आयुक्त

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 871-- 50.